राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2024/686 दिनांकः–26/04/24

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त–अलवर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय, जयपुर की अनुशंषा के आधार पर वृत्त अलवर के अंतर्गत आने वाली विभिन्न आवासीय योजनाओं के अधिशेष आवास/फ्लैटों को **ई–बिड सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।**

क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास/फ्लैट संख्या	कुल
1.	अरावली विहार, भिवाड़ी	EWS (G+3) Flat	10/473	01
2.	अरावली विहार, भिवाड़ी	LIG (G+3) Flat	9/246, 9/373, 9/266, 9/491	04
3.	एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर	LIG (G+3) Flat	6C/L/FF/07, 6A/L/SF/09, 6D/L/SF/28, 6A/L/TF/30, 6A/L/TF/31, 6B/L/TF/13, 6B/L/TF/15, 6C/L/TF/15, 6C/L/TF/30, 6D/L/TF/13, 6D/L/TF/30, 6D/L/TF/32	12
			Total	**17**

उपरोक्त वर्णित 17 फ्लैटों को उप आवासन आयुक्त, वृत्त–अलवर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–तृतीय, जयपुर द्वारा की गई अनुशंषा व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तो के आधार पर ई–बिड सबमिशन (बिना छूट) से निस्तारण की स्वीकृति हेतु प्रदान की जाती हैः–

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लेट/ आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी एकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिकवाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का सबंधित पत्रावली पर पैरा संख्या 11/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

(आर. एस. चांदावत)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत–अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–अलवर/भिवाड़ी/भरतपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, ...
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

संयुक्त एनालिस्ट